निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1940 (श0)
(सं0 पटना 1043) पटना, मंगलवार, 11 दिसम्बर 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

अधिसूचना
7 दिसम्बर 2018

सं० पर्या0/वन(मु0)-12/2017–1307(ई)/प०व०—चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग पर्यावरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नुकसान और स्वास्थ्य परिसंकट के कारक हैं;

और चूँकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग जैव-विघटेय नहीं हैं, जलने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन करते हैं, मलनालियों एवं नालियों को अवरूद्ध करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण करते हैं तथा खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट खा लिये जाने से जानवरों के जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं;

और चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग से सामान्य रुप से पर्यावरण एवं विशेष रुप से स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर विचार करते हुए बिहार सरकार ने महसूस किया है कि प्लास्टिक कैरी बैग पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं;

इसलिए, अब, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्गत अधिसूचना सं0 एस0ओ0 152 (ई0) दिनांक 10.02.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य के सभी ग्राम पंचायत की परिसीमा के भीतर प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किए बिना) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के पश्चात्, पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। इस संदर्भ में बिहार सरकार निम्नलिखित निदेश जारी करती है:-

निदेश का प्रारूप ।-

1. कोई भी व्यक्ति, राज्य के ग्राम पंचायत की अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किये बिना) का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग नहीं करेगा।
2. बिहार राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के अधिकारिता में कोई भी व्यक्ति, जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरीवाला अथवा सब्जीवाला आदि सम्मिलित हैं, प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय अथवा भंडारण अथवा वितरण अथवा खाद्य पदार्थ या गैर-खाद्य/सामग्रियों के भंडारण अथवा प्रदाय के लिए उपयोग नहीं करेगा।

अपवाद ।-

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के उचित निपटान हेतु इनके संग्रहण/भंडारण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग (50 माइक्रोन्स से अधिक मुटाई वाले) के उपयोग को एतद् द्वारा छूट दी जाती है। राज्य सरकार को आकलन के आधार पर इस अधिसूचना के तहत किसी अपवाद का प्रावधान करने का अधिकार आरक्षित है। खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग, दूध एवं दूध उत्पादों तथा पौधशालाओं में पौधा उगाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक पात्रों को कैरी बैग नहीं माना जायेगा।

स्पष्टीकरण ।-

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ''प्लास्टिक की थैलियों'' का वही अर्थ होगा जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में परिभाषित है जिसे निम्न रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

''प्लास्टिक की थैलियों'' का तात्पर्य वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है लेकिन इसमें वे थैलियाँ शामिल नहीं हैं, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती हैं या इसका अभिन्न अंग हैं, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएँ सीलबन्द की जाती हैं।

प्राधिकृत पदाधिकारी ।-

निम्नलिखित अधिकारियों को एतदद्वारा उनकी अधिकारिता में इस अधिसूचना को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

1. प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार।
3. अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
4. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपनी अधिकारिता की बाबत।
5. अनुमंडल दण्डाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपनी अधिकारिता की बाबत।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी
7. क्षेत्रीय पदाधिकारी/सहायक पर्यावरण अभियंता/वैज्ञानिक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपनी बाबत।
9. ग्राम पंचायत सचिव एवं पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत बनायी गयी उपविधियों (Bye-Laws) में प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी।

अनुश्रवण ।-

अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा इन निर्देशों का सम्पूर्ण रूप से अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी इस निर्देश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध परिवाद दाखिल करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

दण्डात्मक प्रावधान ।-

इन निदेशों का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत दिये गये दण्डात्मक प्रावधान को आकृष्ट करेगा और ऐसे अपराध उस सजा से, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा उस जुर्माना से जिसे एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय है।

किसी भी निदेश के उल्लंघन की दशा में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 22 (xviii) (7) एवं 22 (xix) (7) में विनिर्दिष्ट कार्यो के कार्यान्वयन हेतु बनाए गए नियमों अथवा निर्गत दिशा-निदेशों के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रवर्त्तन ।-

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होगी। इसी 60 दिनों की अवधि के भीतर सभी व्यक्ति, जिसमें विनिर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता तथा प्लास्टिक कैरी बैग के व्यापारी एवं दुकानदार, विक्रेता, फेरीवाला, सब्जीवाला शामिल हैं, प्लास्टिक कैरी बैग के भण्डार का निपटारा कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

————

The 7th December 2018

No. Parya Van (Mu)-12/2017-1307(ई०)— Whereas, plastic carry bags cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And Whereas, Article-48A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And Whereas, it is observed that plastic carry bags are non-biodegradable, produce toxic gases on burning, cause choking of sewers and drains, reduce soil fertility and pose threat to life of cattle eating plastic waste along with their feed;

And Whereas, the Government of Bihar after considering the adverse effects of plastic carry bags on the environment and local ecology felt that plastic carry bags have detrimental effects on the environment and human health;

Now therefore, in exercise of the powers delegated to this state under the Notification No- S.O.-152(E) dated 10.02.1988 issued under section 5 of the said Act by the Environment, Forest and Climate Change Ministry, Government of India exercises the powers conferred under section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Government of Bihar issues this notification to impose a complete ban on the manufacture, import, store, transport, sale and use of plastic carry bags (irrespective of their size and thickness) in the jurisdiction of all Gram Panchayats in the State of Bihar after 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette. In this context, the Government of Bihar hereby issues the following directions namely:—

Draft of Directions—

1. No person shall manufacture, import, store, distribute, sell, transport or use any kinds of plastic carry bags (irrespective of their sizes and thickness) in the jurisdiction of all the Gram Panchyats in the State of Bihar.
2. No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler, retailer, trader, hawker, *feriwala* or *sabjiwala* shall sell or store or distribute or use any kind of plastic carry bags for storing or dispensing of any eatable or non-eatable goods or materials in the jurisdiction of all the Gram Panchayats in the State of Bihar.

Exceptions—

The use of plastic carry bags (above 50 microns thickness) only for collection/ storage of Bio-Medical Waste for its disposal as specified under the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 is hereby exempted. State Government reserves the right to provide for any exception under this notification based on its assessment. The plastic containers used for packaging food materials, milk and milk products and raising plants in the nurseries shall not be deemed as carry bags.

Explanation—

For the purpose of this Notification "Plastic carry bags" shall have the same meaning as defined in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India which is reproduced below :—

"Carry bags" mean bags made from plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.

***Authorized Officers*—**

The following officers are hereby authorized to implement this notification in their respective jurisdiction namely :—

1. The Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Bihar;
2. The Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Bihar;
3. The Chairman or the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board;
4. The District Magistrate/superintendent of Police in respect of their jurisdiction;
5. The Sub-Divisional Magistrate/Sub-Divisional Police Officers in respect of their jurisdiction;
6. Block Development Officer/Circle Officer;
7. The Regional Officers/ AEEs/Scientists of Bihar State Pollution control Board;
8. The General Managers, District Industries Centre in respect of their jurisdiction;

9. The Gram Panchayat Secretary and other officer authorised in the Bye laws made by the Panchayati Raj Department, Govt. of Bihar under the provisions of Bihar Panchayati Raj Act, 2006.

Monitoring—

The Chairman, Bihar State Pollution Control Board and The Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Bihar shall ensure monitoring and implementation of these directions. The authorized officers under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall file complaint in case of violation of these directions.

Penalty—

The contravention of these directions shall attract penal provisions of Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 and is punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to Rs. one Lakh or with both.

In case of violation of any direction, action may be taken under the rules made or the guidelines issued for carrying out the functions mentioned under section 22 (xviii) (7) & 22 (xix) (7) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.

Enforcement—

This notification shall come into force after 60 days from the date of its publication in the Official Gazette. All persons including manufacturers, wholesalers, retailers and traders of plastic carry bags, shopkeepers, vendors, hawkers, feriwalas and sabjiwalas shall dispose of their stock of plastic carry bags within this 60 days period.

By order of the Governor of Bihar,
RATNESH JHA,
Joint secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1043-571+500-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक 1940 (श0)

(सं0 पटना 943) पटना, बुधवार, 24 अक्तूबर 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

अधिसूचना

15 अक्तूबर 2018

सं० पर्या0/वन-25/2018-**1153(ई०)**/प०व०—चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग पर्यावरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नुकसान तथा स्वास्थ्य परिसंकट के कारक हैं;

और चूँकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग जैव-विघटेय नहीं हैं, जलने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन करते हैं, मलनालियों एवं नालियों को अवरूद्ध करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण करते हैं तथा खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट खा लिये जाने से जानवरों के जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं;

और चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग से सामान्य रुप से पर्यावरण एवं विशेष रुप से स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर विचार करते हुए बिहार सरकार ने महसूस किया है कि प्लास्टिक कैरी बैग पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं;

इसलिए, अब, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्गत अधिसूचना सं0 एस0ओ0 152 (ई0) दिनांक 10.02.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की परिसीमा के भीतर प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किए बिना) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के पश्चात्, पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। इस संदर्भ में बिहार सरकार निम्नलिखित निर्देश जारी करती है:-

निर्देश :-

1. कोई भी व्यक्ति, राज्य के नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किये बिना) का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग नहीं करेगा।
2. बिहार राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अधिकारिता में कोई भी व्यक्ति, जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरीवाला अथवा सब्जीवाला आदि सम्मिलित हैं, प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय अथवा भंडारण अथवा वितरण अथवा खाद्य पदार्थ या गैर-खाद्य/सामग्रियों के भंडारण अथवा प्रदाय के लिए उपयोग नहीं करेगा।

अपवाद ।—जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के उचित निपटान हेतु इनके संग्रहण/भंडारण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग (50 माइक्रोन्स से अधिक मुटाई वाले) के उपयोग को एतद्द्वारा छूट दी जाती है। राज्य सरकार को आकलन के आधार पर इस अधिसूचना के तहत किसी अपवाद का प्रावधान करने का अधिकार आरक्षित है। खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग, दूध एवं दूध उत्पादों तथा पौधषालाओं में पौधा उगाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक पात्रों को कैरी बैग नहीं माना जायेगा।

स्पष्टीकरण ।—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ''प्लास्टिक की थैलियों'' का वही अर्थ होंगे जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में परिभाषित है जिसे निम्न रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

''प्लास्टिक की थैलियों'' का तात्पर्य वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है लेकिन इसमें वे थैलियाँ शामिल नहीं हैं, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती है या इसका अभिन्न अंग है, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएँ सीलबन्द की जाती हैं।

प्राधिकृत पदाधिकारी ।—निम्नलिखित अधिकारियों को एतदद्वारा उनकी अधिकारिता में इस अधिसूचना को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

1. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार।
2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार।
3. अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
4. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपनी अधिकारिता की बाबत।
5. अनुमंडल दण्डाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपनी अधिकारिता की बाबत।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम की बाबत।
7. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की बाबत।
8. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 और 422 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित बनाई गई उप विधियों (Bye-laws) में प्राधिकृत पदाधिकारी/कार्यबल
9. क्षेत्रीय पदाधिकारी/सहायक पर्यावरण अभियंता/वैज्ञानिक, सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
10. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपनी बाबत।

अनुश्रवण ।—अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा इन निर्देशों का सम्पूर्ण रूप से अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी इस निर्देश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध परिवाद वाद दाखिल करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

दण्डात्मक प्रावधान ।—इन निर्देशों का उल्लंघन, पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 की धारा-15 के दण्डात्मक प्रावधान को आकृष्ट करेगा और ऐसे अपराध से कारावास, जिसे 5 वर्षो तक बढ़ाया जा सकेगा या ऐसे जुर्माने से जिसे एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

किसी भी निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-421 एवं 422 के अन्तर्गत बनाये गये उप-विधियों के अनुरूप जप्ती, जुर्माना, अपराधशमन इत्यादि की कार्यवाही की जा सकेगी । '

प्रवर्त्तन ।—यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के पश्चात् प्रवृत होगी । इसी 60 दिनों की अवधि के भीतर सभी व्यक्ति जिसमें विनिर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता तथा प्लास्टिक कैरी बैग के व्यापारी एवं दुकानदार, विक्रेता, फेरीवाला, सब्जीवाला शामिल हैं, के द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग के भण्डार का निपटारा कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

त्रिपुरारि शरण,

प्रधान सचिव ।

The 15th October 2018

No. Parya Van-25/2018-1153(E)/E.F.—Whereas, plastic carry bags cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And Whereas, Article-48A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And Whereas, it is observed that plastic carry bags are non-biodegradable, produce toxic gases on burning, causes choking of sewers and drains, reduces soil fertility and pose threat to the life of cattle, eating plastic wastes along with their feed;

And Whereas, the Government of Bihar after considering the adverse effects of plastic carry bags on the environment in general and local ecology in particular felt that plastic carry bags have detrimental effects on the environment and human health;

Now therefore, in exercise of the powers delegated to this state under the Notification No-S.O.-152(E) dated 10.02.1988 issued under section 5 of the said Act by the Environment, Forest and Climate Change Ministry, Government of India exercises the powers conferred under section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Government of Bihar issues this notification to impose a complete ban on the manufacture, import, store, transport, sale and use of plastic carry bags (irrespective of their size and thickness) in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Bihar after 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette. In this context, the Government of Bihar hereby issues the following directions namely:-

Directions:—

1. No person shall manufacture, import, store, distribute, sell, transport or use any kinds of plastic carry bags (irrespective of their size and thickness) in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Bihar.
2. No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler, retailer, trader, hawker, *feriwala* or *sabjiwala* shall sell or store or distribute or use any kind of plastic carry bags for storing or dispensing of any eatable or non-eatable goods or materials in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Bihar.

***Exceptio*ns.—**The use of plastic carry bags (above 50 microns thickness) only for collection/ storage of Bio-Medical Waste for its disposal as specified under the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 is hereby exempted. State Government reserves the right to provide for any exception under this notification based on its assessment. The plastic containers used for packaging of food materials, milk and milk products and raising plants in the nurseries shall not be deemed as carry bags.

***Explanation*.—**For the purpose of this Notification "Plastic carry bags" shall have the same meaning as defined in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India which is reproduced below:-

> "Carry bags" mean bags made from plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.

***Authorized Officers*.—**The following officers are hereby authorized to implement this notification in their respective jurisdiction namely:-

1. The Principal Secretary, Environment and Forest Department, Government of Bihar;
2. The Principal Secretary, Urban Development & Housing Department, Government of Bihar;
3. The Chairman or the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board;
4. The District Magistrate and Superintendents of Police in respect of their jurisdiction;
5. The Sub-Divisional Magistrate/Sub-Divisional Police Officers in respect of their jurisdiction;
6. The Municipal Commissioners in respect of Municipal Corporations;
7. The Executive Officers in respect of Municipal Councils and/or Nagar Panchayats;
8. The persons/task force authorised in the Bye-laws related to Plastic Waste Management made under sections 421 & 422 of the Bihar Municipal Act, 2007.
9. The Regional Officers/AEEs/Scientists/ASOs of Bihar State Pollution Control Board;
10. All General Managers, District Industries Centre in respect of their jurisdiction;

***Monitoring*.—**The Chairman, Bihar State Pollution Control Board and the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar shall ensure monitoring and implementation of these directions. The authorized officers under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall file complaint in case of violation of these directions.

***Penalty*.—**The contravention of any of these directions shall attract penal provisions of section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 and is punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to Rs. one Lakh or with both.

In case of violation of any direction seizure and fine may be imposed in accordance with the bye-laws made under section 421 & 422 of the Bihar Municipal Act, 2007.

***Enforcement*.—**This notification shall come into force after 60 days from the date of its publication in the Official Gazette. All persons including manufacturers, wholesalers, retailers and traders of plastic carry bags, shopkeepers, vendors, hawkers, feriwalas and sabjiwalas shall dispose of their stock of plastic carry bags within this 60 days period.

By the order of the Governor of Bihar,
TRIPURARI SHARAN,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 943-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in